संख्या-09/2018/418/78-2-2018-80आईटी/2017टीसी

प्रेषक,

राजीव कुमार ,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 25 जून 2018

विषयः सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में ई- आफिस प्रणाली लागू किया जाना।

महोदय,

शासकीय कार्य-पद्धति को 'लेस-पेपर ऑफिस' में परिवर्तित करके शासकीय कार्यचालन क्षमता में सार्थक सुधार के लक्ष्य के साथ, सचिवालय स्थित समस्त विभागों/ कार्यालयों में ई-आफिस प्रणाली कार्यान्वित कर दी गई है।

2- उत्तर प्रदेश सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में भी दिनांक 15 अगस्त 2018 से ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ तथा पीलीभीत जनपदों में ई-आफिस प्रणाली का कार्यान्वयन पायलट रूप से किया जायेगा।

3- ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के उपरान्त, समस्त जनपदों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा शासन के मध्य पत्राचार, ट्रांजेक्शन तथा सूचनाओं का (Tow-Way) आदान-प्रदान ऑन-लाईन किया जायेगा तथा पत्रावलियों का आदान-प्रदान मैनुअली नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत आच्छादित 10 सेवायें, जिनका लाभ शासकीय कर्मचारियों को प्राप्त होता है, जैसे कि चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति, पेन्शन की स्वीकृति, जी.पी.एफ. की स्वीकृति, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अर्जित अवकाश की स्वीकृति, वेतन का भुगतान, गोपनीय प्रविष्टियों पर निर्णय, पदोन्नति पर निर्णय आदि समस्त कार्यवाही इसी प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से ही सम्पादित की जायेंगी।

4- उत्तर प्रदेश स्थित समस्त पुलिस थानों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जायेगी तथा पुलिस थानों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा शासन के मध्य पत्राचार, ट्रांजेक्शन तथा सूचनाओं के ऑन-लाईन (Tow-Way) आदान-प्रदान हेतु ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जायेगी। राज्य सम्पत्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा अन्य सभी विभागों के अतिथि-गृहों के बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था तथा डिजिटल ट्रांजेक्शन की व्यवस्था भी ई-ऑफिस प्रणाली से होगी।

5- उत्तर प्रदेश सचिवालय परिसर में एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है, तथा विभागाध्यक्ष स्तर तथा जनपद स्तर पर भी एन.आई.सी. द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विकसित ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जायेगी। एन.आई.सी. द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में लगभग 80 ई-ऑफिस दृष्टान्त (e-Office Instance) बनाये जायेंगे तथा प्रत्येक दृष्टान्त/ Instance हेतु एक सुपर यूजर/सुपर एडमिन बनाया जायेगा तथा प्रत्येक कार्यालय हेतु एक एम्पलाई मास्टर डाटा बेस मैनेजर (ई.एम.डी.) बनाया जायेगा। विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों को भी एन.आई.सी.लखनऊ तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों द्वारा ''रोल आउट सपोर्ट टीम'' तैयार कर आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा, जो ई.एम.डी. के साथ सम्बन्ध होंगे।

6- प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को नोडल संस्था नामित करते हुए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में दिनांक 15 अगस्त 2018 से ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश के स्तर से समय-समय पर विभिन्न पत्र एवं दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त पत्रों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, तथापि उक्त प्रणाली को लागू किये जाने के लिए निम्न व्यवस्था को स- सुनिश्चित करा लिया जायेः-

<u>सम्बन्धित कार्मिकों का चिन्हांकन</u>

- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा जिलाधिकारियों द्वारा उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित किया जाये, जिनके द्वारा शासकीय पत्रावलियॉ व्यवहृत की जाती हैं अथवा जनपद स्तरीय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों के माध्यम से प्रस्ताव शासन को प्रेषित अथवा प्राप्त किये जाते हैं।

<u>कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा इन्टरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता</u>

- प्रत्येक विभागाध्यक्ष/जनपद स्तरीय कार्यालय/संस्था के अधिकारियों को कम्प्यूटर तथा प्रभाग में निकनेट अथवा VPN कनेक्टिविटी तथा यूपीएस/प्रिंटर/स्कैनर्स आदि की उपलब्धता। जहां पर निकनेट उपलब्ध नहीं है, वहां सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अनुमति के उपरान्त VPN कनेक्टिविटी दी जा सकती है।

<u>डिजिटल सिग्नेचर की उपलब्धता</u>

- प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को ई-ऑफिस प्रणाली पर कार्य करने हेतु डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किया जाना होगा।

<u>ई-ऑफिस प्रणाली का प्रशिक्षण</u>

- सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-ऑफिस प्रणाली का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना होगा।

<u>एन.आई.सी. ई-मेल आई.डी. की आवश्यकता</u>

- सभी अधिकारियों को ई-आफिस प्रणाली पर कार्य करने हेतु nic.in अथवा gov.in पर ई-मेल आई.डी. प्राप्त करना होगा, जिसका उपयोग यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड के रूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में ई-आफिस प्रणाली पर किया जायेगा। यह समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को https://eforms.nic.in पर स्वयं ऑन-लाईन प्राप्त करना होगा।

- सचिवालय से सम्बद्ध समस्त विभागाध्यक्ष तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों हेतु ई-ऑफिस दृष्टान्त (e-Office Instance) बनाया जाना।

7- उपरोक्त प्रयोजन हेतु बनाई गई वेबसाइट www.upeOffice.in पर विभागाध्यक्षों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली पर कार्य करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके नाम, पदनाम, मोबाइल नं, आधार नं, ई-मेल इत्यादि निर्धारित प्रारूप पर अपलोड किए जायेंगे। इस कार्य हेतु सभी विभागाध्यक्ष तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों को यूजर आईडी तथा पॉसवर्ड निर्गत कर दिये गये हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों में तैनात जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी (DESTO) द्वारा जनपद स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों का डाटा अपलोड किया गया है। उक्त डाटा तथा ई-ऑफिस प्रणाली पर कार्य करने वाले अधिकारियों का डाटा सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष तथा जिलाधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

8- जनपद स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी (C.D.O.) नोडल अधिकारी होंगे। सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा भी ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन हेतु स्वयं बैठकें अवश्य की जायें। जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी (DESTO) प्रणाली के संचालन में जनपद स्तर पर पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।

9- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिवों द्वारा अपने विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी में दक्ष/रुचि रखने वाला एक व्यक्ति चिन्हित कर लिया जाये, जिसके द्वारा सम्बन्धित विभाग तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित कराया जाये तथा उनके द्वारा भी नियमित रूप से समीक्षा की जाये।

10- विभागाध्यक्ष/जनपद स्तरीय कार्यालय/संस्था के अधिकारियों को कम्प्यूटर तथा प्रभाग में निकनेट अथवा VPN कनेक्टिविटी तथा यूपीएस/प्रिंटर/स्कैनर्स आदि की उपलब्धता के लिए आवश्यक हार्डवेयर उपकरणों का क्रय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष कार्यालयों/जनपद स्तरीय कार्यालयों द्वारा स्वयं विभागीय बजट व्यवस्था कराकर, सचिवालय प्रशासन द्वारा उपकरणों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार, जेम (GeM) पोर्टल से किया जायेगा।

11- अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-ऑफिस प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था का चयन खुली एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जाये, अन्यथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 द्वारा मण्डल/जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा अपने माध्यम से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। सुनिश्चित किया जाये कि सभी विभागों में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये तथा पूरे विभाग के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में कम से कम एक 'वर्टिकल ट्रेनिंग' कराई जाये जिसमें विभाग/कार्यालय/संस्था के सभी स्तर के अधिकारियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाये।

12- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारी कार्यालयों के स्तर पर जो कार्य कराये जाने हैं, उदाहरणार्थ नोडल अधिकारी, सुपर यूजर/सुपर एडमिन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा ईएमडी मैनेजर नामित किया जाना, डिजिटल सिग्नेचर बनाना, एन.आई.सी. ई-मेल आईडी प्राप्त करना, उपकरणों की उपलब्धता, ई-ऑफिस प्रशिक्षण इत्यादि, उनकी एक चेकलिस्ट बना कर प्रसारित कर दी जाये। विभाग द्वारा ई-ऑफिस प्रणाली दिग्दर्शिका का मुद्रण कराकर विभागाध्यक्षों/जनपद स्तरीय कार्यालयों तथा ई-ऑफिस प्रणाली पर कार्य करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाये। इस प्रणाली से सम्बन्धित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर भी उपलब्ध करा दिये जायें।

13- ई-ऑफिस प्रणाली के लिए ई-ऑफिस दृष्टान्त तथा स्टेट डाटा सेन्टर पर ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर होस्ट किया जाये। इस हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर लाइसेन्सेज इत्यादि का क्रय आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 द्वारा खुली एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित जेम (GeM) पोर्टल से तत्काल किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इस हेतु विभागीय क्रय समिति का गठन इस प्रकार किया जाये जिसमें आईआईटी कानपुर तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी लखनऊ इत्यादि से भी, तकनीकी भिज्ञ अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जाये।

14- ई-आफिस प्रणाली पर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को डिजिटल सिग्नेचर तथा इस प्रणाली के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु 30.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है एवं स्टेट डाटा सेन्टर के लिए आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर लाइसेन्सेज, डिजिटल सिग्नेचर, प्रशिक्षण इत्यादि पर आने वाला व्यय का वहन वर्ष 2018-19 के शासकीय आय-व्ययक मे प्राविधानित धनराशि से किया जाये तथा आवश्यकता होने पर अनुपूरक मांग के माध्यम से 2018-19 के आय-व्ययक में धनराशि की मांग की जाये।

15- यदि किसी विभाग/कार्यालय द्वारा ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने में कठिनाई अनुभव की जाती है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा इस प्रणाली को लागू करने से छूट प्राप्त करने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के माध्यम से उच्चादेश प्राप्त करने होंगे।

भवदीय,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश।
10- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश।
11- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, यूपीडेस्को, लखनऊ।
13- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
14- महालेखाकार, लेखा परीक्षा - प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
15- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।